न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना जिला भरतपुर
पीठासीन अधिकारी सुनील आर्य R.A.S

मु०नं० 72/2011

मोहन पुत्र रामसिंह जाति-गुर्जर निवासी गुनसारा तहसील बयाना जिला भरतपुर

– वादी

बनाम :

(1) राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर महोदय भरतपुर
(2) तहसीलदार तहसील बयाना

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राज० टी० एक्ट

निर्णय

दिनांक 19/03/2021

उपस्थित –

1– श्री धर्मीराम एडवोकेट वादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना

वादी द्वारा यह वाद धारा 88, 89, 188 RT Act के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आ०ख०नं० 384/0.03 वाकै ग्राम गुनसारा तहसील बयाना स्थित है जिसका वादी खातेदार, काश्तकार, काबिज आराजी है। उक्त खसरा नम्बर पुराने ख०नं० 152 रकबा 4 बिस्वा से बनाया गया है जिसमें बनाया हुआ चाह कुआ स्थित है। वादी के पडोसा ने ... है।
सजरा निम्नानुसार है।

राजधर पुत्र [illegible]
हरज्ञान (फौत)
रामसिंह (फौत)
मोहन (वादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:37:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

चाह पुख्ता से वादी अपनी आराजी की सिंचाई करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का चाह पुख्ता से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध सरोकार एवं वास्ता नहीं रहा है।

प्रतिवादीगण के रेवन्यू कर्मचारियों द्वारा वादी को मौके से बेदखल करने की धमकी दिनांक 25/10/20.. को दी गई है। इसलिए वादी को यह वाद अपने अधिकारों की घोषणा हेतु पेश करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण अपनी नाजायज मंशा में सफल हो गए तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी।

अन्त में वाद वादी ~~..~~ डिग्री कर आ. ख. नं. 384/0.03 हे० वाके ग्राम गुनसारा तहसील बयाना का वादी को स्वातेदार खातेदार एवं काबिज आराजी घोषित किए जाने का निवेदन किया।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा डिमांड को अपना जवाब दावा पेश कर अंकित किया है कि ग्राम गुनसारा के ख०नं० 152/0.04 रकबा 4 बिस्वा जिससे नवीन ख०नं० 384 रकबा 0.03 हे० बनाया गया है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवाय-चक दर्ज है। मुताबिक रिकार्ड सिवायचक दर्ज होने के कारण ... नहीं है। खातेदारी ... आधार दिए जाने से राज्य-हित प्रभावित होता है। वाद वादी खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

दावा जवाब दावा के आधार पर तनकीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:37:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

निम्नानुसार कायम की गई।

(1) आया वाद पत्र की खण्ड संख्या 01 अनुसार आ०ख०न० 384 रकबा 0.03 है० बारे ग्राम गुनसारा में वादी खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है।

(2) आया वाद पत्र की खण्ड संख्या 03 अनुसार वादी अपने आधिकारों की घोषणा करा पाने का अधिकारी है।

(3) आया प्रतिवादीगण ने वादी को दिनांक 24/12/2020 को धमकी दी है।

(4) आया जवाब प्रतिवादीगण अनुसार आ०ख०न० 384 रकबा 0.03 गैर मु० चाह राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार (2068-71) खाता स० 01 मे खण्डेदार अली व चाहत मिथापचन्द दर्ज है।

(5) आया जवाब प्रतिवादीगण अनुसार दावा वादी खारिज योग्य है।

(6) दादरसी

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा प्रदर्श 01, मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श-2 जमाबन्दी सम्वत 2068-2071 एवं मौखिक साक्ष्य में PW-1 मोहन PW-2 विजेन्द्र व PW-3 जितेन्द्र प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रतिवादी में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं हुई।

हमने विद्वान अभिभाषक वादी व पेशेकार सरकार की बहस सुनी। एडवोकेट वादी का कथन है कि आ०ख०न० 384 रकबा 0.03 गैर मुमकिन चाह पुराने ख०न० 152 रकबा 4 बिस्वा से बनाया गया है। ख०न० 384 रकबा 0.03 पर वादी के परबाबा द्वारा कुआ का निर्माण कराया था। वादी के परबाबा द्वारा निर्मित कुए से अन्न ... वादी द्वारा कुए पर भी वादी अपने खेत ... खातेदारी आराजी में अपना इजंन रखा है ... एवं वर्तमान में भी कर सिन्चाई बिजली के सम्बन्ध ... वादी की खातेदारी आराजी है। वाद-वादी रहा है। ख०न० 384 वादी की खातेदारी आराजी है। वाद-वादी डिग्री किए जाने की इच्छा की है।

पेशेकार सरकार का तर्क है कि सीटलमेन्ट से पूर्व व वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:37:14 IST
Reason: Self Attested

राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी राजकीय सिवायचक भूमी है। बादी अथवा वादी के कब्जे द्वारा विवादित आराजी पर अतिक्रमण कर कुए का निर्माण कराया है। राजकीय भूमी पर अतिक्रमण तो नियम विरुद्ध कराया है। खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेने से अतिक्रमी को हालांकि अतिक्रमी को मौके से बेदखल नही हो सकते है। राजकीय भूमी से खातेदारी अधिकार दिया जाता है। राजकीय हित प्रभावित होते है। वाद डिक्री किए जाने पर वादी खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य व बहस उभयपक्ष अनुसार तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है।

(1) आया वादपत्र की खण्ड संख्या 01 अनुसार आ०ख०नं० 384 रकबा 0.03 हे० वाके ग्राम गुनवाडाग में वादी खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का है। प्रदर्श 02 जमाबन्दी सम्वत 2068-2071 अनुसार खसरा नम्बर 384 रकबा 0.03 हैक्टेयर सिवायचक खण्डेदार भूमी व चाहत दर्ज अभिलेख है। मुताबिक मिलान कोष्ठक उक्त खसरा नम्बर पुराना आ०ख०नं० 152 रकबा 5 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन चाह से बना है। तहसीलदार बयाना ने अपने पत्र क्रमांक /LR/19/3980 दिनांक 26/11/19 में ख०नं० 384 मे दो कुओं का बना होना एक कुआ मोहन पुत्र रामसिंह व दूसरा कुआं मनोहर पुत्र रघुवीर का होना अंकित किया है। वादी द्वारा अपने दावा व मौखिक साक्ष्य PW-1 में खसरा नम्बर 384 रकबा 0.03 है० वाके ग्राम गुनवाडाग में [illegible] है, काश्तकारी आराजी होना अंकित किया है [illegible] कोई दस्तावेज पेश नही किया है कि जिससे यह साबित हो कि उक्त विवादित आराजी वादी के कब्जे की खातेदारी आराजी रही है। स्वयं वादी (मोहन PW-1) ने अपने शपथ पत्र में कुए का खण्डहर होना अंकित किया है स्वयं

उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)
उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:37:14 IST
Reason: SelfAttested

आगे अंकित किया है कि "पुरखे मालों के मुनीजो के समय से ही हम इससे पानी लेते रहे है" विरोधाभाष करते। एक तरफ तो वादी कुंए को खण्डहर बताते है तथा इसकी तरफ मुनीजो के समय से पानी लेते रहे है यदि कुंआ खण्डहर होगया है तो वादी को पानी कहां से? स्वयं वादी अथवा मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत गवाहनात ने यह अंकित किया है कि विवादित आराजी सिवायचक भूमी है। दस्तावेजी साक्ष्य रिपोर्ट पटवार हल्का अनुसार विवादित आराजी वादी की खातेदारी भूमी नही होकर राजकीय सिवायचक भूमी है। अतः यह तनकी विरुद्ध वादी व हक प्रतिवादीगण सिद्ध की जाती है।

(2) आया वाद पत्र की खण्ड संख्या 03 अनुसार वादी अपने अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी का ही है। तनकी नम्बर 01 से यह सिद्ध हो चुका है कि विवादित आराजी राजकीय सिवायचक भूमी है। राजकीय भूमी तय होने के उपरान्त वादी राजकीय भूमी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करए पाने का अधिकारी नही रहा है। अतः यह तनकी भी विरुद्ध वादी व हक प्रतिवादीगण सिद्ध होती है।

(3) आया प्रतिवादीगण ने वादी को दिनांक 24/12/2010 को धमकी दी है।

चूंकि तनकी नम्बर 1 व 2 विरुद्ध वादी तय हो चुकी है। अतः यह तनकी भी विरुद्ध वादी व हक प्रतिवादी सिद्ध की जाती है।

(4) आया जवाब प्रतिवादीगण अनुसार आ०ख०न० 384 रकबा 0.03 हे० गैर मुमकिन चाह राजस्व [illegible] जमाबन्दी (2068-2071) अनुसार खाता संख्या [illegible] राजकीय भूमी व चाहत सिवायचक दर्ज है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का है। जमाबन्दी सम्वत 2068-71 प्रदर्श ए-1 अनुसार विवादित आराजी 384 रकबा 0.03 राजकीय खाते मे दर्ज सिवाय खण्डहर भूमी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:37:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

चाहत दर्ज अभिलेख है। तनकीनम्बर 1,2 व 3 विरुद्ध वादी बहक प्रतिवादी सिद्ध हो चुकी है। अतः यह तनकीह भी बहक प्रतिवादी विरुद्ध वादी तय की जाती है।

(5) आया जवाब प्रतिवादी अनुसार दावा खारिज योग्य है।

दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर तनकीनम्बर 1,2,3 व 4 विरुद्ध वादीगण तय हो चुकी है। विवादित आराजी वादी की खातेदारी आराजी न होकर राजकीय सिवाय-चक भूमि है। राजकीय भूमि में वादी अपना वादी के मुनीमों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण करने से राजकीय भूमि में खातेदारी घोषणा का वाद पेश करने से खातेदारी की घोषणा नहीं दी जा सकती है। यह तनकीह भी बहक प्रतिवादीगण विरुद्ध वादी तय की जाती है।

(6) दादरसी

चूंकि तनकीनम्बर 1,2,3,4,व 5 विरुद्ध वादी बहक प्रतिवादीगण तय हो चुकी है। विवादित आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। वादी को राजकीय सिवाय-चक भूमि में किसी प्रकार की दादरसी नहीं दी जा सकती है। अतः वाद-वादी खारिज योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

आदेश -

अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। उक्त पर्ची जारी हो। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील [illegible] दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19/03/2021 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:37:14 IST
Reason: SelfAttested